

<p>National Stock Exchange of India Limited, Listing Department, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) MUMBAI – 400 051. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई-400 051</p>	<p>BSE Limited, Department of Corporate Services, Floor – 25, PJ Towers, Dalal Street, MUMBAI – 400 001. बीएसई लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

विषय: सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के अनुसार बोर्ड बैठक की सूचना।

महोदया/महोदय,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 29 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक, जो 7 नवंबर, 2025 को निर्धारित है, में अन्य बातों के साथ-साथ 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित) तथा 30 सितंबर, 2025 को समाप्त छमाही के लिए गैर-लेखापरीक्षित विशेष प्रयोजन संक्षिप्त अंतरिम वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित) पर विचार करेगी।

इस संदर्भ में, जैसा कि हमने 26 सितंबर, 2025 के अपने पत्र के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है, कंपनी की "पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में व्यापार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचनाओं के निष्पक्ष प्रकटीकरण और आचरण के लिए आचार संहिता एवं प्रक्रियाएं" (संहिता) के अनुसार, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इक्विटी शेयरों और सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों (कर मुक्त बांड आदि) में व्यापार के लिए ट्रेडिंग विंडो 1 अक्टूबर, 2025 को बंद कर दी गई है।

तदनुसार, उक्त ट्रेडिंग विंडो 1 अक्टूबर, 2025 से 9 नवंबर, 2025 तक बंद रहेगी। पुनः ट्रेडिंग विंडो 10 नवंबर, 2025 से प्रभावी होगी।

सभी नामित व्यक्तियों और उनके निकटम संबंधियों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त अवधि के दौरान पीएफसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद से संबंधित किसी भी लेनदेन में शामिल न हों।

यह आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत है।

धन्यवाद।

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन
अधिकारी
mk_agarwal@pfcindia.com

